Paymanager Info

rajsevak.com

रोजाना एक प्रश्न

श्री लीलाराम जी प्रधानाचार्य
राउमावि मुबारिकपुर (रामगढ) अलवर
नि. दोहडा (किशन गढ बास) अलवर

आज का टॉपिक

असाधारण अवकाश का वार्षिक वेतन वृद्धि पर क्या प्रभाव पड़ता है ?

असाधारण अवकाश से संबंधित नियम जिनका प्रभाव वार्षिक वेतन वृद्धि (increament) पर पड़ता है :

- वित्त विभाग, राजस्थान सरकार के दिनांक 9 जून, 2009 के द्वारा ज़ारी स्पष्टीकरण में यह स्पष्ट किया गया है सभी कर्मचारियों के लिए वार्षिक वेतन वृद्धि की निर्धारित तिथि प्रतिवर्ष 1 जुलाई होगी।
- 7th पे-कमीशन की अधिसूचना 30.10.2017 के बिंदु संख्या 13(1) के अनुसार नियमित कामिक को 1 जुलाई से 30 जून तक 6 माह से अधिक की सेवा पूर्ण करना अनिवार्य है तभी वा.वे. वृद्धि देय है अन्यथा नहीं।
- बिंदु संख्या 13(2) के अनुसार प्रोबेशनर्स कार्मिकों के दो वर्ष पूर्ण होने के बाद आने वाली 1 जुलाई को वा. वे. वृद्धि देय होगी।
- कर्मचारी 1 जुलाई से 30 जून की अवधि में असाधारण अवकाश (EOL) पर रहा है तो वह 1 जुलाई को मिलने वाली वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए पात्र होगा। लेकिन 1 जुलाई से 30 जून की अवधि में यह असाधारण अवकाश अवधि 6 माह से अधिक नहीं होनी चाहिए अन्यथा वेतन वृद्धि देय नहीं होगी।
- 1 जुलाई के पूर्व और 1 जुलाई के बाद यदि असाधारण अवकाश की अवधि 6 माह से कम है तो कार्मिक को इंक्रीमेंट नियत तिथि को मिलेगा।

कुछ उदाहरण :

1. कर्मचारी एक जनवरी 2008 से 31 दिसंबर, 2008 तक असाधारण अवकाश (Eol)पर रहा है तो उसकी वार्षिक वेतन वृद्धि 1 जुलाई 2008 को देय होगी क्योंकि इस केस में कार्मिक 6 माह तक 1 जुलाई ,2008 से पहले तथा छह माह तक 1 जुलाई 2008 के बाद असाधारण अवकाश पर रहा है इस प्रकार कार्मिक 1 जुलाई से 30 जून तक की अवधि में 6 माह से अधिक असाधारण अवकाश पर नहीं रहा है इस कारण उसका इंक्रीमेंट नियत तिथि 1 जुलाई ,2008 को देय होगा।
2. कार्मिक 1.12.2007 से 31.12.2008 तक असाधारण अवकाश (Eol) पर रहा तो उस कार्मिक को वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ 1.7.2009 को देय होगा क्योंकि इस मामले में कार्मिक की असाधारण अवकाश की अवधि 1 जुलाई, 2008 से पहले तक 6 माह से अधिक हो जाती है इसलिए इस कार्मिक को 1 जुलाई, 2008 की बजाय 1 जुलाई 2009 को वार्षिक वेतन वृद्धि देय होगी।
3. कार्मिक 1.12.2007 से 31.1.2009 तक असाधारण अवकाश (Eol) पर रहा है। इस मामले में कार्मिक सत्र 2007-2008 में 6 माह से अधिक तथा 6 माह से अधिक ही सत्र 2008-09 में 1 जुलाई ,2008 से पूर्व तक तथा 1 जुलाई 2009 से पहले तक असाधारण अवकाश पर रहा इस कारण उस कार्मिक को वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ 1 जुलाई 2010 में मिलेगा ना कि 1 जुलाई, 2008 व 1 जुलाई, 2009 को असाधारण अवकाश मेडिकल ग्राउंड पर लेने पर वार्षिक वेतन वृद्धि तिथि अप्रभावित रहेगी अर्थात चिकित्सा आधार पर लिए गए असाधारण अवकाश के कारण नेक्स्ट एनुअल इंक्रीमेंट प्रभावित नहीं होगा और नियत तिथि को ही वार्षिक वेतन वृद्धि देय होगी।

अन्य स्पष्टीकरण :

- यदि कोई कर्मचारी किसी कैलेंडर वर्ष की एक छमाही में असाधारण अवकाश पर रहता है तो उसके उपार्जित अवकाश के खाते में प्रत्येक 10 दिन के असाधारण अवकाश पर 1 दिन का उपार्जित अवकाश कम कर दिया जाएगा।
- असाधारण अवकाश के दौरान उपार्जित अवकाश कम करने की सीमा कैलेण्डर वर्ष में विश्राम कालीन कर्मचारियों के मामले में अधिकतम 15 दिन तथा गैर शैक्षणिक कर्मचारियों के मामलों में अधिकतम सीमा 30 से अधिक नहीं होगी तथा सशस्त्र पुलिसकर्मियों के मामले में 21 दिन से अधिक नहीं होगी | अन्य किसी भी प्रकार के अवकाश के उपभोग पर उपार्जित अवकाश कम नहीं किए जाएंगे।
- इस संबंध में 15 जुलाई ,2020 को वित्त विभाग द्वारा जारी स्पष्टीकरण के अनुसार असाधारण अवकाश की अवधि 10 दिन से कम होने अथवा 10 के गुणांक में नहीं होने पर 5 से 10 दिन तक के असाधारणअवकाश के लिए 1उपार्जित अवकाश कम होगा तथा 5 से कम या 4 दिन के असाधारण अवकाश की स्थिति में उपार्जित अवकाश कम नहीं होंगे तथा असाधारण अवकाश पर रहने पर अर्ध वेतन अवकाश (HPL)पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

Note : ध्यान रहे बिना चिकित्सा आधार (Medical ground) के 6 माह से अधिक (1जुलाई से 30 जून तक की अवधि में) असाधारण अवकाश पर रहने पर उस वर्ष नियत 1 जुलाई को इंक्रीमेंट देय नहीं होगा।

Paymanager Info

NOTE उक्त सामग्री सामान्य जानकारी हेतु साथियों को उपलब्ध कराई गई है, जो राज्यादेशों और अन्य कारणों से असंगत हो सकती है, ऐसी स्थिति में राज्यादेश के आधार पर आवश्यक निर्णय लिए जावे, **Paymanager Info** समूह के सदस्य और **rajsevak.com** किसी भी प्रकार जिम्मेदार नहीं होंगे.